उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN-U32201UP1999SGC024928

संख्या : 1590–पें0एवंआर0–28/पाकालि/21–108–पेंशन–31/90(TC-III), दिनांक 13 दिसम्बर, 2021

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक,
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय :उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों के दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 के मध्य सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विशेष सचिव (वित्त), वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–19/2021/सा–3–633/दस–2021–301/2000टी.सी., दिनांक 09 नवम्बर, 2021 एवं तत्क्रम में जारी कार्यालय–ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या–20/2021/सा–3–641/दस–2021–301/2000टी.सी. दिनांक 11 नवम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान उनके मूलवेतन में निम्नलिखित दरों पर महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए आगणित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

अवधि जिसके मध्य कार्मिक सेवानिवृत्त हुए	गणना हेतु महंगाई भत्ते की दर
दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2020 तक	मूल वेतन का 21 प्रतिशत
दिनांक 01.07.2020 से 31.12.2020 तक	मूल वेतन का 24 प्रतिशत
दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक	मूल वेतन का 28 प्रतिशत

2– अतः उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं से दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों की ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण का भुगतान दर्शायी गयी महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार आगणित किये जाने हेतु उ0प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश/कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 19/2021/सा–3–633/दस–2021–301/2000 टी.सी., दिनांक 09 नवम्बर, 2021 तथा कार्यालय–ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या–20/2021/सा–3–641/दस–2021–301/2000 टी0सी0, दिनांक 11 नवम्बर, 2021 में प्राविधानित व्यवस्थाओं को यथावश्यक संशोधन सहित अंगीकृत/लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी0/रा0वि0प0(औ0सं0/उन्नीस)–14(23) एफ/85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागारों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

13/12
(ए0के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

क्रमशः....2

संख्या : 1590(I)–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 2021, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित–

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ, केस्को–कानपुर / ट्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियां।
7. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / विद्युत वितरण कम्पनियॉं।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को **10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।**
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), **कक्ष संख्या–407**, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द

(आनन्द श्रीवास्तव)
अनु सचिव(पें0एवंआर0)